राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)
प्लाट न0 2, CoERRA भवन,(चतुर्थ एवं पंचम तल), अरण्य भवन के सामने,
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
(फोन नं0 0141–2744239, फैक्स नं0 2744237)
email- ed.rsbcl@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– 2056 दिनांकः– 07-06-2024

स्थानान्तरण नीति
(Transfer Policy)

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में निगम स्वयं का कोई केडर नहीं है। निगम में कुछ पद एक्स केडर के स्वीकृत है एवं अन्य सभी पदों पर अधिकारी/कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार निगम में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। निगम में निम्न पद एक्स केडर के स्वीकृत है :–

क्रम संख्या	पद नाम	सेवा/विभाग का नाम
1	कार्यकारी निदेशक	राजस्थान प्रशासनिक सेवा
2	महाप्रबंधक प्रशासन	राजस्थान प्रशासनिक सेवा
3	महाप्रबंधक (वित्त एंव लेखा)	राजस्थान लेखा सेवा
4	महाप्रबंधक ऑपेरेशन	राजस्थान लेखा सेवा
5	वरिष्ठ लेखाधिकारी	राजस्थान लेखा सेवा
6	जिला आबकारी अधिकारी I एवं II	राजस्थान आबकारी सेवा
7	उप महाप्रबंधक (कर)	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा
8	उप महाप्रबंधक (एम.आई.एस.)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
9	सहायक लेखाधिकारी प्रथम,द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार	कोष एवं लेखा निदेशालय
10	सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

उक्त एक्स केडर पदों पर स्थानान्तरण राज्य सरकार की संबंधित सेवा/विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार संबंधित प्रशासनिक विभाग के द्वारा किया जाता है। निगम मुख्यालय एवं निगम के राजस्थान राज्य में अवस्थित डिपो पर अन्य पदों यथा–डिपो मैनेजर,सुपरवाईजर आदि एवं अन्य स्वीकृत रिक्त पदों पर राज्य सरकार के अन्य विभाग/निगम आदि के कार्मिकों में से विशेष चयन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया जाता है। इसके उपरांत भी निगम के स्वीकृत पद रिक्त रहने पर राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों में से कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी नियम/दिशानिर्देशों के अनुसार चयन कर पदस्थापन किया जाता है।

शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 5(1)प्रसु/अनु–1/2024/स्था.निर्देश/06619 जयपुर, दिनांक 09.04.2024 की अनुपालना में राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RSBCL में निगम द्वारा चयनित/प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये निम्नानुसार स्थानांतरण प्रक्रिया होगी :–

(क). समयावधि :–

(i) डिपो प्रबंधक :– एक डिपो में डिपो प्रबंधक का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा। डिपो प्रबंधक को प्रत्येक तीन माह पश्चात् अन्य डिपो पर 15 दिवस के लिये डिपो प्रबंधक का कार्य करना होगा। 15 दिवस के पदस्थापन हेतु अन्य डिपो का चयन रेंडम आधारित होगा।

(ii) सुपरवाईजर :– एक डिपो में सुपरवाईजर का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा। एक सुपरवाईजर के पास डिपो में बीयर तथा भा०नि०वि० मदिरा के गोदाम दोनों में अलग-अलग अधिकतम 2 वर्ष कार्यभार रहेगा।

RajKaj Ref 7631139
Signature valid
Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Executive Director
Date: 2024.06.07 08:45:29 IST
Reason: Approved

(iii) निगम द्वारा चयनित/प्रतिनियुक्ति पर डिपो में नियुक्त सूचना सहायक एवं क0लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी का एक डिपो पर अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

(iv) निगम मुख्यालय में निगम द्वारा चयनित/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का एक अनुभाग में अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

(ख). स्थानान्तरण प्रक्रिया :–

1. निगम द्वारा स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों/संभाव्य रिक्त पदों को प्रति वर्ष 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल/वेबसाइट पर दर्शित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरण के इच्छूक कार्मिकों को ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में 01 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निगम द्वारा इच्छित डिपो/स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानांतरण हेतु उपर वर्णित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 01 मार्च से 31 मार्च तक In-person counselling के माध्यम से कार्यवाही की जावेगी। अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही counselling में सम्मिलित किया जा सकेगा।
4. निगम द्वारा counselling की कार्यवाही में स्थानांतरण कराने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन,विधवा,परित्यक्ता,एकल महिला,पति–पत्नी प्रकरण व असाध्य रोग से पीडित आवेदकों एवं शहीद के आश्रित सदस्य को बुलाया जायेगा। तदोपरांत शेष रहे आवेदकों को counselling में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर निगम के सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाकर स्थानांतरण किये जायेंगे।
5. निम्नांकित असाध्य रोग से स्वयं,पति/पत्नी पीडित होने पर प्राथमिकता दी जायेगी :–
   - दुर्बल बीमारियां (Debilitating Disorders) जैसे–कैंसर,गुर्दा प्रत्यारोपण,हृदय शल्य चिकित्सा–ओपन हार्ट सर्जरी/बाईपास सर्जरी तथा डायलिसिस।
   - किसी को गुर्दा या यकृत का दान किया गया हो–ऑपरेशन से प्रथम तीन वर्षों के लिए।
   - मनोचिकित्सा रोग।
   - लकवा।
   - स्थायी निशक्तता।
   - अंधापन।
   - मूक एवं बधिर।
   - मानसिक निशक्तता (Mentally Challenged Children),स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निशक्तता।
6. निगम द्वारा इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानान्तरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानान्तरण किया जाये।
7. निगम द्वारा counselling से संबंधित दस्तावेजों/रिकार्ड को सुरक्षित रखा जायेगा।

(ग). स्वयं के आवेदन पर स्थानान्तरण–

कार्मिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष की 01 अप्रैल को माना जायेगा, अर्थात किसी वर्ष विशेष में 01 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेंगे। परन्तु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगें :–

1. दिव्यांगजन
2. विधवा,परित्यक्ता,एकल महिला

RajKaj Ref
7631138

Signature valid

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.06.07 05:45:29 IST
Reason: Approved

3. निम्नांकित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीडित होने पर (स्वयं,पति–पत्नी,आश्रित संतान एवं माता–पिता) –
   - दुर्बल बीमारियां (Debilitating Disorders) जैसे–कैंसर,गुर्दा प्रत्यारोपण,हृदय शल्य चिकित्सा–ओपन हार्ट सर्जरी/बाईपास सर्जरी तथा डायलिसिस।
   - किसी को गुर्दा या यकृत का दान किया गया हो–ऑपरेशन से प्रथम तीन वर्षों के लिए।
   - मनोचिकित्सा रोग।
   - लकवा।
   - स्थायी निशक्तता।
   - अंधापन।
   - मूक एवं बधिर।
   - मानसिक निशक्तता (Mentally Challenged Children),स्वलीन(Autism)अथवा बहुआयामी निशक्तता।
4. पति–पत्नी,जो अलग–अलग जगह पदस्थापित हो
5. शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में

(घ). प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण–

कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानान्तरण किया जा सकेगा, परन्तु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानान्तरण निम्नांकित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा :–

1. कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो, जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टयाः सही पाई गई हो।
2. कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकेगा, ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकें।
3. जब आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने के कारण निगम के कार्य को सुचारू रखने के लिये ऐसा करना अति आवश्यक हो,सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

(च). स्थानान्तरण हेतु विशेष प्रकरण–

- निगम द्वारा चयनित होकर प्रतिनियुक्ति पर निगम में आने पर उक्त नव नियुक्त कार्मिक को निगम में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।
- न्यायिक प्रकरणों में।
- पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में।
- एपीओ प्रकरणों में स्थानान्तरण/पदस्थापन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति से ही कियां जा सकेगा। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथा संभव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

(छ). सामान्य दिशा–निर्देश –

कार्मिकों के स्थानान्तरण (काउंसलिंग एवं स्वयं के आवेदन/प्रशासनिक कारण से) प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रेल की अवधि में उपर वर्णित स्थानान्तरण प्रकिया के बिन्दु संख्या 2 व 3 में वर्णित तिथियों /समय सीमा के अनुरूप किये जा सकेंगे। स्थानान्तरण करते समय निम्नानुसार सामान्य निर्देशों की पालना की जायेगी :–

I. किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष से कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानान्तरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा, यदि कार्मिक स्थानान्तरण का इच्छुक हो तो स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

Signature valid
RajKaj Ref 7631138
Digitally signed by [illegible] Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.06.07 0[illegible]:45:29 IST
Reason: Approved

II. कार्मिक को किसी स्थान से स्थानान्तरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानान्तरित/पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा।

iii. कार्मिक का स्थानान्तरण समान पद पर ही किया जावे। किसी अन्य पद के विरूद्ध स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

iv. निगम की गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत उक्त दिशा–निर्देशों में आवश्यक शिथिलन प्रबंध निदेशक द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

उक्त स्थानान्तरण दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(जगवीर सिंह)
कार्यकारी निदेशक

कमांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रस्तुत हैः–

1. निजी सचिव,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर.एस.बी.सी.एल.,जयपुर।
2. आबकारी आयुक्त,राजस्थान,उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (आबकारी),जयपुर।
4. महाप्रबंधक ऑपरेशन/वित्त एवं लेखा/प्रशासन,आर.एस.बी.सी.एल.,जयपुर।
5. जिला आबकारी अधिकारी I/II आर.एस.बी.सी.एल.,जयपुर।
6. जिला आबकारी अधिकारी,समस्त आबकारी जिले।
7. उप महाप्रबंधक(एम.आई.एस.),आर.एस.बी.सी.एल.,जयपुर।
8. प्रबंधक ऑपरेशन I/ ऑपरेशन II/वित्त/प्रशासन/स्टोर,आर.एस.बी.सी.एल.,जयपुर।
9. समस्त डिपो प्रबंधक,आर.एस.बी.सी.एल.।
10. रक्षित पत्रावली

(संजय सिंह दूलर)
महाप्रबंधक(प्रशासन)

RajKaj Ref
7631138

Signature valid

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.06.07 0?:45:29 IST
Reason: Approved